

Phone : 011-26131577 - 78, 80 011-29581000 Website : www.aicte-india.org



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

(A Statutory Body of the Govt. of India) (Ministry of Human Resource Development, Govt. of India) Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Prof. Dileep N. Malkhede Advisor-I

F.No. AICTE/RIFD/FDP through MOOCs/2017-18

Date: 06.09.2018

To

All DTEs and Secretaries of TE of all the states

Subject: - Gazette Notification in respect of NPTEL MOOCs Advanced Courses to be considered for faculty promotions under CAS. -Reg.

Sir,

NPTEL and AICTE have signed a MOU whereby advanced certification courses of NPTEL are recognized as Faculty Development Programme (FDP) by AICTE. Every semester the list of courses eligible for FDP shall be made available by NPTEL's Academic Council and published on NPTEL's website (http://nptel.ac.in/fdp.html). Faculty members of institutions, appointed as per AICTE Regulations for full time teaching and other academic activities, can be benefitted from these FDPs.

A copy of the notification published, in this regard, in the official Gazette of India dated 16.08.2018, is attached for your kind perusal and information.

Encl.: As cited above

Yours sincerely,

(Dileep N Malkhede) Advisor-I (RIFD)



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ![[—खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3101

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2018/श्रावण 25, 1940

No. 310]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2018/SHRAVANA 25, 1940

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नइं दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

फा. सं. 34—36/आरआईएफडी/मूक्स द्वारा एफडीपी/2017—16.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10.(1).(i) और (v) के साथ पिठेत धारा 23 की उप-धारा (i) के अधीन प्रदेत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद निम्न विनियम बनाती है :-

संक्षिप	त नाम, प्रयोज्यता एवं आरंभ :
1	इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (केरियर जन्मति योजना (सीएएरा)) (डिग्री/डिप्सीमा) विनियम, 2018 कहा जाएगा।
2	ये विनियम सभी अभातिशिष अनुमंदित तकनीकी संस्थाओं तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं सहित विश्वविद्यालयो एवं अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों एवं अन्य क्षेत्रों पर लागू होंगे जैसाकि परिषद् द्वारा रामय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।
3	ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक रहाक के लिए वेतनमान, संवा शर्ते और अईताए) विनियम 2010 सामान्या शीर्ष के अन्तर्गत खण्ड (xviii) के प्रावधान के अनुसार विभिन्न केंडरों में उच्च ग्रेड वेतन में सभी उन्नति में दो अभातशिप अनुमोदित पुनश्चर्या कार्यक्रमों, जो कि दो सप्ताह से कम की अवधि के न ही तथा दो टीईक्यूआईपी प्रायोजित कार्यक्रमों (प्रत्येक एक-एक सप्ताह के) को पूरा करने के अध्यक्षीन प्रभावी होगी।

आगे. यह भी कि समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी. 2016 के 'विनिध मुद्दे' शीर्ष के अनार्गत स्पष्टीकरण संख्या 59 के अनुसार अभातशिष/यूजीसी/मा.सं विकामंत्रालय/डीएसटी/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित दो कार्यक्रमीं. (प्रत्येक एक-एक सप्ताह का) को भी टीईवयुआईपी कार्यक्रमों का विकल्प माना आएगा।

अब, आगे यह भी अधिसूचित किया जाता है कि वे संकाय सदस्य जो एनपीटीईएल (मूक्स रीति के माध्यम से) द्वारा प्रदान किए जा रहे उच्च (एडवांस) पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तथा प्रभाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं, उन पर भी कैरियर जन्मति योजना (सीएएस) के अंतर्गत संकाय उन्मति हेत् विधार किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी संबर्धन अध्ययन पर सब्द्रीय कार्यक्रम (नैवटेल) विभिन्न अवधि के प्राथमिक (येसिक) और उच्च (एडवांस) स्तरीय पाइयक्रमा को ऑनलाईन उपलब्ध कराता है। संकाय सदस्यों द्वारा इन उच्च (एडवांस) पाइयक्रमों को आरंग करके सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात ही नैपटेल एवं अभातशिप द्वारा संयुक्त प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

जबकि नैपटेल का भूक्स (व्यापक मुक्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम) पूर्ण अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है जैसा कि नियमित एफडीपी होता है. उनकी समकक्षता नियमित एफडीपी के अनुरूप निप्न रूप से मानी जा सकती है :--

क्रम संख्या	नैपटैल पाठ्यक्रमों के सप्ताहों की संख्या	प्रत्येक सप्ताह व्याख्यान	सम्मिलित होने के कुल घंटें	नैपटैल पाठ्यक्रमों की नियमित एफडीपी से समकक्षता
1.	4	3	12	एक सप्ताह के लिए 1/2 एकडीपी
2.	8	3	24	एक सप्ताह के लिए पूरा एफडीपी
3.	12	3	36	1 1/2 एफडीपी

- (i) नैपटैल पाट्यक्रमों में प्रतिभागिता करने के इच्छुक अभातशिप अनुमोदित डिग्री/डिप्लोमा संस्थानों के संकाय नैपटेल पीर्टल पर अपने को पंजीकृत करें तथा पाट्यक्रमों में हिस्सा लें।
- (ii) नैपटैल प्रस्थेक रौमेस्टर के लिए उच्च (एडवांस) स्तर के पाठ्यक्रम को देने के लिए उत्तरदायी है।
- (iii) नैपटैल पूक्स (व्यापक मुक्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम) एक नियमित असाइनमेंट होगा तथा इसके अंत में व्यक्तिगत परीक्षा होगी। नैपटैल द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा संयुक्त रूप से (नैपटैल एवं अमातशिप) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र केवल उन प्रतिभागियों को जारी किया जाएगा जिन्होंने उस कार्यक्रम में भाग लिया हो तथा परीक्षा में अईता प्राप्त की हो।
- (iv) संकाय सदस्य जो सफलतापूर्वक पाट्यक्रम को पूरा करते हैं, सीएएस के तहत पदोन्नित के लिए ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्रो, आलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य सचिव, अभातशिप

[विज्ञापन-]]] / 4 / असा. / 185 / 18]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2018

F. No. 34-36/RIFD/FDP through MOOCs/2017-18.—In exercise of powers conferred under sub-section (i) of Section 23 read with Section 10.(1).(i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations:

(CEUIA	1000				
Short Title Application and Commencement:					
1	These Regulations may be called the "All India Council for Technical Education Regulations, 2018 (Career Advancement Scheme) (Degree/Diploma)."				
2	They shall apply to all technical institutions approved by the AICTE and Universities including institutions deemed to be University imparting technical education and such other courses/programmes and areas as notified by the AICTE from time to time.				
3	They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.				

As per provisions vide clause (xviii) under head 'General' laid down in 'All India Council for Technical Education (Pay Scales, Service Conditions and Qualifications for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions (Degree) Regulations, 2010', all advancements to higher grade pay in various cadres, will be effected subject to completion of two AICTE approved refresher programs of not less than two weeks' duration each and two one week each TEQIP sponsored programs.

Further, as per clarification No.59 under the caption 'Miscellaneous issues' laid down vide notification dated 4th January, 2016, two programs of one week each AICTE/UGC/MHRD/DST/State Govt. sponsored programs may also be considered as an alternative to TEQIP programs.

Now, it is further notified that those faculty members who successfully complete advanced courses offered by NPTEL (through MOOCs mode) and obtain the certificate, shall also be considered for faculty promotions under CAS.

National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) offers online basic and advanced level courses of different durations. Faculty members undertaking and completing such advanced courses successfully are only issued joint certification by NPTEL and AICTE.

Since MOOCs (Massive Open Online Courses) of NPTEL are not full time training programs like regular FDPs, their equivalence to regular FDPs, shall be considered as under:

SI. No.	No. of weeks of NPTEL Courses	Lectures per week	Total No. of Hrs. of engagement	Equivalence of NPTEL courses with regular FDP
Į,	4	3	12	1/2 FDP of one week
2.	8	3	24	Full FDP of one week
3.	12	3	36	1 ½ FDP

- Faculty from AICTE approved Degree/Diploma institutions who wish to participate in the NPTEL courses, will register themselves on NPTEL portal and undergo the courses.
- (ii) NPTEL is responsible for offering advanced level courses for every semester.
- (iii) NPTEL MOOCs (Massive Open Online Courses) will have regular assignments and in-person examination at the end. A test will be conducted by NPTEL and jointly (NPTEL and AICTE) signed certificates will be issued to only those participants who attend the programme and qualify tests.
- (iv) Faculty members who successfully complete the course, would be able to produce such certificates for promotions under CA\$.

Prof. A. P. MITTAL, Member Secy., AICTE [ADVT.-III/4/Exty./185/18]